

**समक्ष: बी. आर. तुली और बी. एस. ढिल्लों न्यायमूर्ति**

**चानन मल, - याचिकाकर्ता।**

**बनाम**

**हरियाणा राज्य, आदि- उत्तरदाता।**

**1974 का सी. डब्ल्यू. 1133**

**7 मई, 1974**

हरियाणा खनिज (अधिकारों का निहित) अधिनियम (1973 का 48 - धारा 3 और 4 - खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम (1957 का एलXVII) - धारा 2 और 18 - भारत का संविधान (1950)- अनुच्छेद 31 और सातवीं अनुसूची, सूची I, प्रविष्टि 54 सूची II प्रविष्टियां 18 और 23 - हरियाणा खनिज अधिनियम - चाहे वह हरियाणा विधानमंडल की विधायी योग्यता से परे हो - ऐसा अधिनियम - चाहे संविधान के अनुच्छेद 31-ए (1) (ए) के तहत संरक्षित हो - अधिनियम की धारा 4 के तहत निर्धारित अधिग्रहण के लिए मुआवजा - क्या अनुच्छेद 31 (2) का उल्लंघन करता है।

यह अभिनिर्धारित किया गया माना गया कि हरियाणा खनिज (अधिकारों का निहित) अधिनियम, 1973 हरियाणा विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था ताकि राज्य सरकार द्वारा हरियाणा राज्य में किसी भी भूमि पर या उस पर खनिजों का अधिकार प्राप्त किया जा सके। तथापि, एक बार केन्द्रीय संसद द्वारा खानों और खनिज विकास के विनियमन के संबंध में विधान बनाए जाने के बाद, उसके पास ऐसी खानों और खनिजों के अस्तित्व में होने वाली भूमि का अधिग्रहण करने की शक्ति होती है और राज्य सरकार के पास इसका अधिग्रहण करने की कोई शक्ति नहीं होती है। यह इस प्रकार है कि खानों या खनिजों के अधिग्रहण के लिए कोई कानून राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित नहीं किया जा सकता है। खान और खनिज ( विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957, जो एक केंद्रीय अधिनियम है, की धारा 2 में संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 54 के तहत की गई घोषणा शामिल है और इस घोषणा से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि खनिजों के विनियमन और विकास को केंद्र सरकार द्वारा उनकी संपूर्णता में ले लिया गया है। ऐसी घोषणा के बाद राज्य द्वारा कोई कानून और घोषणा में बताए गए क्षेत्र पर छंटनी आवश्यक रूप से असंवैधानिक होनी चाहिए क्योंकि वह क्षेत्र राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता से अलग है। खनिज विकास के विनियमन में खनिजों का अधिग्रहण शामिल है और इसलिए, जब तक उस क्षेत्र को राज्य के संचालन के लिए नहीं छोड़ा जाता, हरियाणा खनिज अधिनियम को हरियाणा विधानमंडल द्वारा लागू नहीं किया जा सकता था। केन्द्रीय अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अवलोकन से पता चलता है कि राज्य सरकार के पास केवल गौण खनिजों के संबंध में पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टे प्रदान करने को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति है, न कि किसी और के संबंध में। गौण खनिजों के अलावा अन्य खनिजों के संबंध में इसकी कोई शक्ति नहीं है। पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टे प्रदान करने के विनियमन में खनिज या गौण खनिजों के अधिग्रहण की शक्ति शामिल नहीं है जो कि विशेष रूप से केंद्र सरकार में निहित है। इस प्रकार यह इस प्रकार है कि खनिज विकास का विनियमन केंद्र सरकार द्वारा 1957 के केंद्रीय अधिनियम की धारा 18 के तहत किया गया है और राज्य विधानमंडल को इसके संबंध में कानून बनाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। हरियाणा खनिज अधिनियम का सार और सार खनिजों के अधिकारों का अधिग्रहण और उसके विकास के रूप में, अधिनियम प्रविष्टि 23 के भीतर आता है, न कि प्रविष्टि 18 के भीतर, हालांकि यह संयोग से भूमि को छूता है और इसके विपरीत नहीं। भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है बल्कि खनिजों के रूप में इसकी उपज के अधिकारों का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसलिए हरियाणा विधानमंडल के पास 1957 के केंद्रीय अधिनियम 67 के प्रावधानों के मद्देनजर 1973 के हरियाणा अधिनियम 48 को लागू करने की विधायी क्षमता का अभाव था।

यह अभिनिर्धारित किया गया, संविधान का अनुच्छेद 31ए (1) (ए) कृषि सुधारों से संबंधित है, न कि खानों और खनिजों या उनके अधिकारों से। खानों और खनिजों के संबंध में, अधिग्रहण किसी भी खनिज की खोज या जीतने के उद्देश्य से हो सकता है, न कि खनिज विकास के लिए। इस कारण से हरियाणा खनिज अधिनियम को संविधान के

अनुच्छेद 31 ए (ए) या (ई) के तहत बचाया नहीं जा सकता है, विशेष रूप से 1957 के केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों के सामने।

यह अधिनिर्धारित किया गया कि कानून द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि मनमानी या भ्रामक या पूरी तरह से कम नहीं होनी चाहिए जो न केवल न्यायिक विवेक को बल्कि हर तर्कसंगत इंसान के विवेक को झटका देगी। अधिनियमन में उल्लिखित राशि के निर्धारण के लिए निर्धारित राशि या सिद्धांत उस दृष्टिकोण से न्यायिक समीक्षा के लिए खुले हैं। हरियाणा खनिज अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के परंतुक में राज्य सरकार को राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित उनकी संपत्ति के प्रतिदान के माध्यम से खनिजों के मालिकों को किसी भी राशि से वंचित करने की मनमानी शक्ति प्रदान की गई है। इसलिए, अधिनियम की धारा 4 को संविधान के अनुच्छेद 31 (2) में उल्लिखित खनिजों के अधिकार के मालिकों को भुगतान की जाने वाली राशि का प्रावधान नहीं माना जा सकता है और न ही धारा में प्रदान की गई राशि के निर्धारण के लिए सिद्धांत इसके अनुरूप है। कितनी राशि है मनमाने ढंग से तय किया गया और भ्रामक और बेहद कम होने के कारण, अधिनियम को अधिग्रहण से पहले अधिकार के मालिक को भुगतान करने के लिए किसी भी राशि का प्रावधान नहीं माना जाता है। इसलिए, अधिनियम की धारा 4, संविधान के अनुच्छेद 31 (2) का उल्लंघन करती है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत निम्नलिखित प्रार्थना करते हुए याचिका;

परमादेश, निषेध, या किसी अन्य रिट या आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट को निर्देश, निरोध, घोषणा जारी किया जाना चाहिए।

- i. कि हरियाणा खनिज (अधिकारों का निहित) अधिनियम, जिसे 1973 का अधिनियम XLVIII कहा जाता है, राज्य विधायिका द्वारा ऐसा करने की विधायी क्षमता के बिना अधिनियमित किया गया है;
- ii. यह कि अधिनियम की धारा 3 और 4 को अप्रभावी, अमान्य, अवैध, अधिकार क्षेत्र के बिना और भारत के संविधान के विपरीत होने के रूप में निरस्त किया जाए;
- iii. यह कि लागू अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 31 (2) के अर्थ के भीतर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए नहीं बनाया गया है और इसलिए इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए;
- iv. कि दिनांक 20 फरवरी, 1974 की दो अधिसूचनाएं (i) 1217-2-1-बी-II-74/7622 और (ii) GIG/SP/AUC/1173-74/3075-C दिनांक 22 फरवरी, 1974 की अधिसूचनाएं अवैध, अमान्य और अप्रभावी हैं क्योंकि वे आक्षेपित अधिनियम के अनुसरण में हैं जो विधायी क्षमता के बिना अधिनियमित किया गया है;
- v. यदि अधिसूचना के अनुसरण में कोई कार्रवाई की जाती है (i) सं 2006/2010(ii) दिनांक 20 फरवरी, 1974 की अधिसूचना सं 1217-2-1-बी-II-74/7622 और (ii) सं 2007 (ग) दिनांक 22 फरवरी, 1974 के परिपत्र सं 1173/74/3075-सी के परिपत्र सं 1173/74/3075-सी को अमान्य घोषित किया जाए क्योंकि ऐसा करने के अधिकार क्षेत्र के बिना राज्य सरकार द्वारा इसे लिया गया होगा; और
- vi. कि राज्य सरकार को अधिसूचनाओं को आगे बढ़ाने के संबंध में कोई कार्रवाई करने से रोका जाए।(ख) दिनांक 20 फरवरी, 1974 की अधिसूचना सं 1217-2-1-बी-II-74/7622 और (ii) सं 2004 दिनांक 22 फरवरी, 1974 के जीआईजी/एसपी/एयूसी/1173/73-74/3075-सी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा क्षेत्राधिकार के बिना जारी किया जाता है।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एच. एल. सिब्बल, एस. के. जैन और अधिवक्ता कपिल सिब्बल उपस्थित थे।

डी. दीवान, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा, उत्तरदाताओं के लिए।

### निर्णय

तुली न्यायमूर्ति- 12 रिट याचिकाओं के इस समूह में याचिकाकर्ता (सीडब्ल्यू संख्या 1118, 1133, 1180, 1181, 1208, 1225, 1226, 1231, 1238, 1277, 1351 और 1974 के 1352) हरियाणा राज्य के विभिन्न स्थानों पर नमक के मालिक या पट्टेदार हैं। उन्होंने हरियाणा खनिज (अधिकारों का निहित) अधिनियम, 1973 (1973 का हरियाणा अधिनियम संख्या 48), (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की संवैधानिक वैधता को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी है कि हरियाणा राज्य विधानमंडल के पास उस कानून को लागू करने के लिए विधायी क्षमता का अभाव है। याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए अन्य आधारों पर बाद में विचार किया जाएगा क्योंकि मैं पहली बार में इस आधार से निपटने का प्रस्ताव करता हूँ। यह आदेश सभी रिट याचिकाओं का निपटारा करेगा।

2. अधिनियम को 16 दिसंबर, 1973 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति मिली; और 20 दिसंबर, 1973 को हरियाणा सरकार के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया था, और उस तारीख को लागू हुआ था। अधिनियम की प्रस्तावना से पता चलता है कि इसे राज्य सरकार को खनिज अधिकार प्रदान करने और खनिजों के मालिकों को राशि के भुगतान और उनसे संबंधित अन्य मामलों के लिए प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है। हरियाणा सरकार के राजपत्र (असाधारण), दिनांक 7 नवम्बर, 1973 में प्रकाशित इस अधिनियम के पारित होने के उद्देश्य और कारण निम्नानुसार थे -

"यह देखा गया है कि हरियाणा राज्य में खनिजों को पंचायतों और खनिजों के अन्य मालिकों द्वारा बेतरतीब पट्टों/ठेकों को प्रदान करने के कारण खनिजों को ठीक से नहीं निकाला जा रहा है। खनिज सम्भावों को संरक्षण की दृष्टि से संरक्षित करने तथा वैज्ञानिक तर्ज पर इसके समुचित विकास एवं दोहन के लिए यह आवश्यक है कि खनिजों का एक एजेंसी के माध्यम से समुचित दोहन किया जाए। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, यह आवश्यक है कि हरियाणा राज्य में भूमि में खनिजों के अधिकार राज्य सरकार में निहित होने चाहिए।

3. अधिनियम की धारा 2 (बी) में 'खनिजों' को खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 3 के खंड (ए) और (ई) में परिभाषित खनिजों और गौण खनिजों के रूप में परिभाषित किया गया है, और धारा 2 (सी) "भूमि" को परिभाषित करती है। भूमि का मूल्यांकन भूमि राजस्व के लिए किया गया हो या नहीं और इसमें नदी के तल और इमारतों और अन्य संरचनाओं के स्थल शामिल हैं। अधिनियम की धारा 3 निम्नलिखित शब्दों में है-

(1) "राज्य सरकार, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा, किसी भूमि में किन्हीं खनिजों का अधिकार प्राप्त कर सकेगी और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट खनिजों का अधिकार, उसके प्रकाशन की तारीख से, राज्य सरकार में निहित होगा।

(2) इस समय लागू किसी कानून में निहित किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन पर, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि में खनिजों का अधिकार पूर्णतः राज्य सरकार में निहित होगा और राज्य सरकार, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए,

1957 में, इस तरह के अधिकार के उचित आनंद या निपटान के लिए आवश्यक सभी शक्तियां हैं।

- (3) भूमि में खनिजों के अधिकार में पूर्वेक्षण और कार्यशील खानों के उद्देश्य से भूमि तक पहुंच का अधिकार शामिल है और इसके सहायक उद्देश्यों के लिए गड्ढों और शाफ्ट के डूबने, संयंत्रों और मशीनरी का निर्माण, सड़कों का निर्माण, खनिजों का ढेर लगाना और अपशिष्ट जमा करना; उत्खनन और भवन और सड़क सामग्री प्राप्त करना, पानी का उपयोग करना और लकड़ी लेना और कोई अन्य उद्देश्य जिसे राज्य सरकार खनन के लिए सहायक घोषित कर सकती है।
- (4) यदि राज्य सरकार ने किसी व्यक्ति को किसी खनिज पर अपना अधिकार सौंपा है, और यदि ऐसे अधिकार के समुचित उपयोग के लिए, यह आवश्यक है कि उप-धाराओं (2) और (3) में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो कलेक्टर लिखित रूप में एक आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों और आरक्षणों के अधीन, जो वह विनिर्दिष्ट करे, कर सकेगा, ऐसी शक्तियां उन व्यक्तियों को सौंपें जिन्हें अधिकार सौंपा गया है।”

धारा 4 में खनिजों के अधिकार के हकदार व्यक्तियों को उनके निहित होने से तुरंत पहले राशि के भुगतान का प्रावधान है। राज्य सरकार अधिनियम की धारा 3 और धारा 5 के अंतर्गत राशि की मात्रा, जिन व्यक्तियों को यह देय है अथवा पात्र व्यक्तियों के बीच राशि के बंटवारे पर किसी भी आपत्ति के अधिनिर्णय के लिए मूल क्षेत्राधिकार के प्रधान सिविल न्यायालय को संदर्भित करने का प्रावधान है। यह प्रावधान भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 18 और 19 के समान है। धारा 6 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों को अधिनियम के तहत सिविल न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाहियों पर लागू करती है और धारा 7 मूल क्षेत्राधिकार के प्रमुख सिविल न्यायालय में अपील का प्रावधान करती है जहां मामले का निर्णय उसके अधीनस्थ सिविल न्यायालय द्वारा और अन्य मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। धारा 8 राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है,

4. यह विवादित नहीं है कि अधिनियम को राज्य सरकार द्वारा हरियाणा राज्य में किसी भी भूमि पर या उस पर खनिजों का अधिकार प्राप्त करने के आदेश के साथ पारित किया गया था और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 31 द्वारा कवर किया गया है। कानून को अधिनियमित करने के लिए राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता निर्धारित करने के लिए, संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची I में प्रविष्टि 54, सूची II में प्रविष्टि 18 और 23 और सूची III में प्रविष्टि 42 का संदर्भ दिया जाना चाहिए। हरियाणा राज्य द्वारा अपनी विवरणी में लिया गया रख यह है कि यह अधिनियम संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची (सूची II) की प्रविष्टि 18 और समवर्ती सूची (सूची III) की प्रविष्टि 42 से संबंधित है और राज्य सूची की प्रविष्टि 23 से संबंधित नहीं है। लिखित कथन (1974 का सीडब्ल्यू 1133) के पैरा 3 में कहा गया है कि-

“केंद्र सरकार की 21 जनवरी, 1967 की अधिसूचना संख्या 1 (31)/65-एमआईआई के अनुसार साल्टपेट्रे गौण खनिजों में से एक है और इसलिए, इसके दोहन को उक्त अधिनियम (खान और खनिज (विनियमन और विकास) द्वारा विनियमित किया जाना है। अधिनियम, 1957) और पंजाब लघु खनिज रियायत नियम, 1964; इस तथ्य के बावजूद कि नमक काटने का अधिकार सरकार में निहित है या सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति में।”

एक अन्य स्थान (पैरा 4) पर, यह कहा गया है कि-

“खनिजों का अधिग्रहण और राशि का भुगतान, इसलिए, खनिजों के विनियमन और विकास से काफी अलग है”

पैरा 11 में, यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि अधिनियम-

"यह खान और खनिजों के विकास के विनियमन से संबंधित नहीं है, जिससे राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 23 और संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 54 संबंधित है। यह भूमि में खनिजों के अधिग्रहण से संबंधित एक अधिनियम है और राज्य विधानमंडल राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 18 और समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 42 के तहत इस तरह के कानून को लागू करने के लिए पूरी तरह से सक्षम था।

पैरा 12 में पुनः यह कहा गया है कि यह अधिनियम खानों के विनियमन और खनिजों के विकास से संबंधित नहीं है। यह खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 नामक केंद्रीय अधिनियम और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इसके तहत बनाए गए नियमों से स्वतंत्र है। फिर यह प्रस्तुत किया जाता है कि खनिजों के अधिकारों को निहित करने के दृष्टिकोण से, अधिनियम पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 41 के प्रावधानों और ऐसे खनिज अधिकारों के अनुरूप है, जो उस धारा के आधार पर या संबंधित गांवों के वजाब-उल-अर्ज (अधिकारों के रिकॉर्ड) में प्रविष्टियों के आधार पर सरकार में निहित नहीं हैं। राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 4 में उल्लिखित राशि के भुगतान पर अधिग्रहण किया जा सकता है। अधिनियम को पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के लिए पूरक और पूरक कहा जाता है और यह खानों के विनियमन और खनिजों के विकास से संबंधित कानून बनाने के लिए संसद की शक्तियों का अतिक्रमण नहीं करता है और न ही यह 1957 के केंद्रीय अधिनियम के प्रतिकूल है।

5. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए श्री कपिललाल सिब्बल ने इस बात पर जोर दिया है कि खान और खनिज तीनों सूचियों में से किसी में भी कानून बनाने के विषय नहीं हैं। सूची I में प्रविष्टि 54 और सूची II में प्रविष्टि 23 के अनुसार विधान का विषय खानों और खनिज विकास का विनियमन है। इस बात पर जोर देने के लिए, विद्वान वकील ने कुछ अन्य प्रविष्टियों का उल्लेख किया है जैसे कि सूची I में प्रविष्टि 52, जिसमें 'उद्योग, जिनके नियंत्रण को संसद द्वारा कानून द्वारा सार्वजनिक हित में समीचीन घोषित किया गया है' और सूची II की प्रविष्टि 13, 14, 17 और 18 शामिल हैं। मुझे नहीं लगता कि इस निवेदन में कोई दम है। तथ्य यह है कि कानून खानों और खनिज विकास के संबंध में होना चाहिए और इसलिए, सूची I में प्रविष्टि 54 और सूची II में प्रविष्टि 23 द्वारा कवर किया गया है।
6. *पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ* (ए.आई.आर. 1963 एस.सी. 1241) विचारणीय प्रश्नों में से एक प्रश्न यह था कि क्या संसद केन्द्र सरकार को राज्य में निहित भूमि और भूमि में या उस पर अधिकार प्राप्त करने के लिए अधिकृत करने वाला कानून बनाने के लिए सक्षम नहीं है और संसद द्वारा अधिनियमित कोयला धारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम (1957 का XX) और विशेष रूप से इसकी धारा 4 और 7, थे *अल्ट्रा वाइरस* संसद की विधायी क्षमता। इस मामले से निपटते हुए, यह रिपोर्ट के पैरा 68 में देखा गया था। \*\* निम्नानुसार है -

"सूची III में प्रविष्टि 42 में, *प्रथम दृष्टया*, कोई संकेत नहीं है कि इसमें 'संपत्ति' शब्द को किसी भी प्रतिबंधित अर्थ में समझा जाना है; न ही अधिनियम के अन्य प्रावधान, पहले से बताए गए कारणों के लिए, एक प्रतिबंधित अर्थ का सुझाव देते हैं। राज्यों की पूर्ण संप्रभुता का आधार जिसे संसदीय विधान द्वारा राज्य में निहित संपत्ति को लेकर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, का कोई कानूनी आधार नहीं है। किसी राज्य में निहित संपत्ति को प्रभावित करने वाले तरीके से कानून के आवंटित विषयों पर कानून बनाने के लिए केंद्रीय संसद को शक्ति से वंचित करने से संसदीय कानून लगभग अप्रभावी हो सकता है। संविधान में विधायी शक्ति के संदर्भ में 'संपत्ति' शब्द के सीमित अर्थ का सुझाव देने वाला कोई प्रावधान हमारे ध्यान में नहीं लाया गया है। राज्य की संपत्ति का उपयोग करने के लिए केंद्रीय संसद और कार्यपालिका के पास व्यापक सार्वजनिक हित में व्यापक शक्तियों के संबंध में, प्रतिबंध ने सुझाव दिया कि यह शक्ति राज्यों की संपत्ति के अधिग्रहण तक विस्तारित नहीं है, इस पर विचार नहीं किया जाता है। सूची

I की प्रविष्टि 54 के तहत अपेक्षित घोषणाएं करके, केंद्रीय संसद खानों और खनिजों को विनियमित करने की शक्ति ग्रहण करती है और इस प्रकार उन सभी एजेंसियों को खानों में काम करने के अधिकार से वंचित करती है जो संघ के नियंत्रण में नहीं हैं। यह शायद ही कल्पना की जा सकती है कि संविधान निर्माताओं ने संघ के नियंत्रण में खानों और खनिजों को काम करने के लिए एक विशेष शक्ति प्रदान करने का इरादा रखते हुए, इसे बनाकर उस शक्ति के प्रभावी प्रयोग को रोक दिया (खनिजों वाले राज्यों में निहित भूमि का अधिग्रहण करना अनिवार्य रूप से असंभव है)। शक्ति का प्रभावी प्रयोग निर्भर करेगा, अगर इस तरह के तर्क को स्वीकार किया जाता है, तो नहीं





चानन माई **बनाम** हरियाणा राज्य, आदि (बी. आर. तुली, जे.)

प्रविष्टि 54 के तहत एक अधिसूचना जारी करके विनियमन और नियंत्रण करने की शक्ति का प्रयोग करने पर, लेकिन उस क्षेत्र में राज्य की इच्छा पर जिस क्षेत्र में खनिज युक्त भूमि स्थित है। संघ के नियंत्रण में खानों और खनिजों के विनियमन और विकास के लिए कानून बनाने की शक्ति में आवश्यक निहितार्थ द्वारा खानों और खनिजों को प्राप्त करने की शक्ति शामिल होगी। इसलिए, राज्य में निहित संपत्ति के अधिग्रहण के लिए कानून बनाने की शक्ति को संसद को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है यदि इसका उपयोग अनुच्छेद 31 द्वारा प्रदत्त संरक्षण के साथ लगातार किया जाता है। (जोर दिया गया)।

इन टिप्पणियों के अनुसार, एक बार केन्द्रीय संसद द्वारा खानों और खनिजों के विकास के विनियमन के संबंध में कोई विधान बनाए जाने के बाद, उसके पास ऐसी खानों और खनिजों के अस्तित्व में होने वाली भूमि का अधिग्रहण करने की शक्ति होती है और राज्य सरकार के पास इसे अधिग्रहित करने की कोई शक्ति नहीं होती है। यह इस प्रकार है कि खानों या खनिजों के अधिग्रहण के लिए कोई विधान राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित नहीं किया जा सकता है। अतः, यह स्पष्ट है कि यदि खानों और खनिज विकास के विनियमन का कार्य केन्द्र सरकार द्वारा 1957 के खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (जिसे बाद में केन्द्रीय कहा जाता है) अधिनियमित करके अपने हाथ में ले लिया गया था। 1957 का अधिनियम) और विनियमन में भूमि का अधिग्रहण शामिल है जिसमें खदानें मौजूद हैं, हरियाणा राज्य विधानमंडल के पास अधिनियम पारित करने की कोई क्षमता नहीं थी ।

7. उस प्रश्न को निर्धारित करने के लिए हमें 1957 के केन्द्रीय अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की जांच करनी होगी। उस अधिनियम की धारा 2 में संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 54 के तहत की गई घोषणा शामिल है और निम्नानुसार है: -

"यह घोषित किया जाता है कि सार्वजनिक हित में यह समीचीन है कि संघ को खानों के विनियमन और खनिजों के विकास को उसके बाद की सीमा तक अपने नियंत्रण में लेना चाहिए। मैं

इस घोषणा से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि खनिजों के विनियमन और विकास को संघ सरकार ने अपनी संपूर्णता में अपने हाथ में ले लिया है। राज्य द्वारा अपनी विवरणी में यह स्वीकार किया जाता है कि खनिजों का विनियमन और विकास केन्द्र सरकार के अधीन केन्द्रीय सरकार के अनन्य क्षेत्राधिकार में आता है।

1957 का अधिनियम और विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा उनके तर्कों के दौरान जिस बात पर प्रकाश डाला गया है, वह यह है कि खनिजों के अधिकारों का अधिग्रहण खनिज विकास के विनियमन से कुछ अलग है और केंद्र सरकार ने अब तक ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया है जो इसमें खनिजों के अधिकारों को विशेष रूप से निहित करता हो या उन अधिकारों को प्राप्त करता हो। और, इसलिए, हरियाणा विधानमंडल के पास लागू कानून को लागू करने की क्षमता थी। यह याचिका ऊपर दिए गए सुप्रीम कोर्ट की भारी टिप्पणियों के मद्देनजर टिक नहीं सकती है। खनिज विकास के विनियमन में खनिजों का अधिग्रहण शामिल है और इसलिए, जब तक उस क्षेत्र को राज्य के संचालन के लिए नहीं छोड़ा जाता, तब तक अधिनियम हरियाणा विधानमंडल द्वारा अधिनियमित नहीं किया गया था। 1957 के केन्द्रीय अधिनियम की योजना में यह सुझाव दिया गया है कि धारा 4 से 9 पूर्वेक्षण और खनन कार्यों पर सामान्य प्रतिबंध निर्धारित करती है, धारा 10 से 12 उस भूमि के संबंध में पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे प्राप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित करती है जिसमें खनिज सरकार में निहित हैं और धारा 13 केंद्र सरकार को खनिजों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। धारा 14 गौण खनिजों के संबंध में पूर्वेक्षण लाइसेंसों और खनन पट्टों पर धारा 4 से 13 के उपबंधों को लागू नहीं करती है और धारा 15 राज्य सरकार को गौण खनिजों के संबंध में पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टे प्रदान करने को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। इसलिए, यह इस प्रकार है कि राज्य सरकार के पास एकमात्र शक्ति गौण खनिजों के संबंध में पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टे प्रदान करने को विनियमित करने के लिए नियम बनाना है, न कि कोई और। गौण खनिजों के अलावा अन्य खनिजों के संबंध में इसकी कोई शक्ति नहीं है। पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टे प्रदान करने के विनियमन में खनिज या गौण खनिजों के अधिग्रहण की शक्ति शामिल नहीं है जो कि विशेष रूप से केंद्र सरकार में निहित है। धारा 17 उस भूमि से संबंधित है जिसमें खनिज किसी राज्य सरकार के पास हैं और केंद्र सरकार को राज्य सरकार के परामर्श के बाद किसी ऐसे क्षेत्र में पूर्वेक्षण या खनन कार्य करने की शक्ति दी गई है, जो पहले से ही किसी पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे आदि के तहत नहीं है। इस प्रावधान से यह स्पष्ट है कि पूर्वेक्षण या खनन कार्यों को करने की पूर्ण शक्ति, भले ही भूमि राज्य सरकार में निहित हो, केंद्र सरकार के पास है और यही कारण है कि अधिनियम की धारा 3 में, एक विशिष्ट प्रावधान किया गया है कि अधिनियम के तहत राज्य द्वारा अधिग्रहित खनिजों का विकास किया जाएगा और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनका आनंद लिया जाएगा।

चानन माई **बनाम** हरियाणा राज्य, आदि (बी. आर. तुली, जे.)

1957 का केंद्रीय अधिनियम। 1957 के केंद्रीय अधिनियम की धारा 18 विशेष रूप से खनिजों के विकास से संबंधित है और अधिनियम के शेष प्रावधान विविध और सहायक मामलों से संबंधित हैं। इस प्रकार यह इस प्रकार है कि खनिज विकास का विनियमन केंद्र सरकार द्वारा 1957 के केंद्रीय अधिनियम की धारा 18 के तहत किया गया है और राज्य विधानमंडल को इसके संबंध में कानून बनाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

8. ऐसा करने के लिए; राज्य विधानमंडल के साथ-साथ संघ संसद के कानून के संबंधित क्षेत्र का निर्धारण करते हुए, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची I में प्रविष्टि 54 और सूची II में प्रविष्टि 23 का संदर्भ दिया जाना चाहिए जो निम्नानुसार है:

"54 (सूची I) खानों और खनिज विकास का विनियमन उस सीमा तक जहां तक संघ के नियंत्रण में ऐसे विनियमन और विकास को संसद द्वारा कानून द्वारा सार्वजनिक हित में समीचीन घोषित किया जाता है।

23 (सूची II) संघ के नियंत्रण में विनियमन और विकास के संबंध में सूची I के प्रावधानों के अधीन खानों और खनिज विकास का विनियमन।

हिंगर-रामपुर कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य में, (2), इन दो प्रविष्टियों का संबंधित कार्यक्षेत्र निम्नानुसार बताया गया था -

"प्रविष्टि 23 के तहत राज्य विधानमंडल का अधिकार क्षेत्र उक्त प्रविष्टि के उत्तरार्द्ध द्वारा लगाई गई सीमा के अधीन है। यदि संसद ने अपने कानून द्वारा इसे लागू करने की घोषणा की है; सार्वजनिक हित में खानों का प्रत्यावर्तन और विकास संघ के नियंत्रण में होना चाहिए, ऐसी घोषणा की सीमा तक राज्य विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र को बाहर रखा गया है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई केंद्रीय अधिनियम पारित किया गया है जिसमें प्रविष्टि 54 द्वारा अपेक्षित संसद द्वारा घोषणा शामिल है, और यदि उक्त घोषणा में आक्षेपित अधिनियम द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र को शामिल किया गया है, तो लागू किया गया अधिनियम दो संविष्टियों के बीच किसी भी विरोधाभास के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि राज्य विधानमंडल के पास कानून पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। द्वारा लगाई गई सीमा

प्रविष्टि 23 का उत्तरार्द्ध राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता पर एक सीमा है। इस स्थिति पर कोई विवाद नहीं है।

इस मामले पर उच्चतम न्यायालय के उनके लॉर्डशिप द्वारा उड़ीसा राज्य और एक अन्य बनाम मैसर्स एमए टुलोक एंड कंपनी (3) मामले पर पुन विचार किया गया था और यह रिपोर्ट के पैरा 5 में निम्नानुसार देखा गया था -

"अब सातवीं अनुसूची की बात करते हुए, राज्य सूची की प्रविष्टि 23 राज्य विधानमंडल में संघ के नियंत्रण के तहत विनियमन और विकास के संबंध में सूची I के प्रावधानों के अधीन खानों और खनिजों के विकास के विनियमन के विषय पर कानून बनाने की शक्ति निहित करती है। यह देखा जाएगा कि सूची I के उपबंधों के अधीन रहते हुए खान और खनिज विकास विषय पर विधान अधिनियमित करने की राज्य की शक्ति पूर्ण है। जैसा कि पहले

ही देखा जा चुका है, सूची I में संगत प्रावधान संघ सूची की प्रविष्टि 54 है। \* \* \*  
\* \* \*

इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि केंद्रीय अधिनियम को संसद द्वारा प्रविष्टि 54 में निहित विधायी शक्ति का प्रयोग करके या केंद्रीय अधिनियम के संबंध में अधिनियमित किया गया है, जिसमें धारा 2 द्वारा अधिनियमित करने के लिए प्रविष्टि 54 द्वारा आवश्यक घोषणा के संदर्भ में घोषणा की गई है: 'यह घोषित किया जाता है कि यह सार्वजनिक हित में समीचीन है कि संघ को खानों के विनियमन और खानों के विकास को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए। इसके बाद प्रदान किए गए सीमा तक खनिज।

यह समझने के लिए ज्यादा तर्क की आवश्यकता नहीं है कि जिस हद तक केंद्र सरकार ने 'खनिजों के विनियमन और विकास' को 'अपने नियंत्रण' में ले लिया था, उस राज्य की प्रविष्टि 23 और राज्य के कानून के तहत राज्य विधानमंडल की शक्ति के दायरे से इतना कुछ वापस ले लिया गया था कि # के तहत शक्ति के अस्तित्व पर निर्भर था कि उस 'नियंत्रण' की सीमा तक उस 'नियंत्रण' को प्रतिस्थापित किया जाएगा या अप्रभावी बना दिया जाएगा। *क्योंकि यहां हमारे पास दोनों के प्रावधानों के बीच केवल प्रतिकूलता का मामला नहीं है। कानून केवल उस घोषणा के द्वारा राज्य विधायी शक्ति का हनन या वंचन है जिसे संसद को बनाने और करने का अधिकार है।* (जोर दिया गया)।

9. उस मामले में प्रतिवादी के वकील श्री सीतलवाड़ द्वारा यह आग्रह किया गया था कि केंद्रीय अधिनियम खनिज विकास के पूरे क्षेत्र को प्रभावित करता है, कि जिस हद तक संसद ने कानून द्वारा घोषित किया था कि यह समीचीन है कि संघ को नियंत्रण ग्रहण करना चाहिए और इस संबंध में उन्होंने धारा 18 (1) की शर्तों पर सबसे दृढ़ता से भरोसा किया, जिसमें 'केंद्र सरकार को ऐसे सभी कदम उठाने का कर्तव्य निर्धारित किया गया था। जो भारत में खनिजों के संरक्षण और विकास के लिए आवश्यक हो सकता है' और 'उस प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे नियम बना सकती है जो वह उचित समझे। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अगर खनिज विकास के पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था; इसमें खानों में नियोजित कर्मचारियों के लिए सुविधाओं का प्रावधान शामिल होगा जो खानों आदि के कार्यकरण को प्रोत्साहित करने या बनाए रखने के लिए आवश्यक था। विद्वान न्यायाधीशों ने विद्वान वकील की इस दलील में काफी बल पाया और *हिंगिरा-रामपुर कोल कंपनी बनाम उड़ीसा राज्य (सुप्रा)* में निर्णय का अनुमोदन किया।
10. इस मुद्दे पर सीधा असर डालते हुए उच्चतम न्यायालय का एक और निर्णय *बैजनाथ केडिया आदि बनाम बिहार राज्य और अन्य*, (4) उस मामले में; निर्णय के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या राज्य विधानमंडल के पास बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 10 में संशोधन को अधिनियमित करने की विधायी क्षमता थी। बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 10 की उप-धारा (2) में दूसरा परंतुक जोड़ने वाला संशोधन बिहार भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम 1964 द्वारा किया गया था, और इन शर्तों में था: —

"उप-धारा (2) में, निम्नलिखित दूसरा परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्: —

बशर्ते कि खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम LXVII) में परिभाषित गौण खनिजों के संबंध में उक्त पट्टे के नियम और शर्तें, अब तक; चूंकि वे उस अधिनियम की धारा 15 के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाई गई राइफलों के साथ असंगत हैं।

चानन माई **बनाम** हरियाणा राज्य, आदि (बी. आर. तुली, जे.)

उन नियमों द्वारा निर्धारित संगत नियमों और शर्तों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है और यदि शर्तों का आगे पता लगाना और निपटान आवश्यक हो जाता है, तो उस उद्देश्य के लिए आवश्यक कार्यवाही कलेक्टर द्वारा की जाएगी, और (बी) उप-धारा के बाद .. ".

रिपोर्ट के पैरा 14 और 15 में इस मामले से निपटते हुए यह टिप्पणी की गई थी -

"14. .. पहले तर्क पर ध्यान देना आवश्यक है कि सुधार अधिनियम की धारा 10 में संशोधन को लागू करने के लिए विधायी क्षमता की आवश्यकता थी। चूंकि संशोधन 1957 के अधिनियम 67 के बाद किया गया था, इसलिए हमें इसके संबंध में स्थिति पर विचार करना होगा। संघ सूची की प्रविष्टि 54 खानों और खनिजों के विकास के विनियमन दोनों की बात करती है और प्रविष्टि 23 प्रविष्टि 54 के अधीन है। यह संसद के लिए खुला है कि वह यह घोषित करे कि यह समाप्त हो गया है- जनहित में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नियंत्रण केंद्र सरकार के पास होना चाहिए। इस तरह की घोषणा किस हद तक जा सकती है, यह संसद को तय करना है और यह सार्वजनिक हस्तक्षेप के अनुरूप होना चाहिए। एक बार यह घोषणा हो जाने के बाद और निर्धारित सीमा तक विधान का विषय संसद द्वारा विधान के लिए अनन्य विषय बन जाता है। ऐसी घोषणा के बाद राज्य द्वारा बनाया गया कोई भी कानून और घोषणा में बताए गए क्षेत्र पर प्रतिबंध आवश्यक रूप से असंवैधानिक होना चाहिए क्योंकि वह क्षेत्र राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता से अलग है। यह प्रस्ताव इतना स्पष्ट है कि इसका खंडन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इस न्यायालय के दो निर्णय की भी रिपोर्ट दी गई है। *हिंजर-रामपुर कोल कंपनी लिमिटेड* बहुत। *उड़ीसा राज्य* और *उड़ीसा राज्य* बहुत। *एम.ए. टुलोक एंड कंपनी* (सुप्रा), जिसमें इस मामले पर चर्चा की जाती है। एकमात्र विवाद, इसलिए, पार्लिया द्वारा घोषणा किस हद तक हो सकती है राज्य विधान द्वारा विधान बनाने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है- लटूरा यदि लागू किया गया कानून दायरे में आता है ऐसे दायरे में, यह मान्य होगा; यदि इसके बाहर, तो यह होना चाहिए अमान्य घोषित किया जाए।

15. यह घोषणा 'अधिनियम 67' 1957 की धारा 2 में निहित है और सरकार के नियंत्रण में लेने की बात करता है

केन्द्र सरकार खानों का विनियमन और खनिजों के विकास का प्रावधान अधिनियम में ही की गई सीमा तक करती है। इसलिए हमें 1957 के अधिनियम 67 के बाहर यह निर्धारित करने के लिए नहीं देखना चाहिए कि राज्य विधानमंडल की क्षमता के भीतर क्या बचा है, इसे उस अधिनियम की शर्तों से अलग करना होगा। (जोर दिया गया)।

रिपोर्ट के पैरा 17 में यह देखा गया है:

चूंकि बिहार राज्य विधानमंडल ने 1957 के अधिनियम 67 के लागू होने के बाद भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन किया था, इसलिए बाद के अधिनियम में घोषणा उस अधिनियम में प्रदान की गई सीमा तक एक क्षेत्र का निर्माण करेगी और उस हद तक प्रविष्टि 23 में कटौती की जाएगी। संशोधन को बनाए रखने के लिए राज्य को यह दिखाना होगा कि यह मामला केंद्रीय अधिनियम द्वारा कवर नहीं किया गया है। दूसरे पक्ष को, ज़ाहिर है; यह दिखाएं कि मामला पहले से ही कवर किया गया है और कानून के लिए कोई जगह नहीं है।

1957 के केंद्रीय अधिनियम 67 के संबंध में, रिपोर्ट के पैरा 18 में यह देखा गया था-

"अधिनियम खदानों के विनियमन और खनिजों के विकास का नियंत्रण संघ को देता है; बेशक, प्रदान की गई सीमा तक। यह अन्य खनिजों से अलग से छोटे खनिजों से संबंधित है। गौण खनिजों के संबंध में धारा 14 में यह प्रावधान है कि अधिनियम की धारा 4-13 पूर्वोक्त लाइसेंसों और खनन पट्टों पर लागू नहीं होती है। धारा 15 में यह कहा गया है कि राज्य सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, गौण खनिजों के संबंध में और उनसे संबंधित प्रयोजनों के लिए पूर्वोक्त लाइसेंस और खनन पट्टे प्रदान करने को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है, और जब तक नियम नहीं बनाए जाते हैं, तब तक राज्य सरकार द्वारा बनाए गए ऐसे कोई नियम जो गौण खनिजों के संबंध में पूर्वोक्त लाइसेंस और मिनीरिंग पट्टे प्रदान करने को विनियमित करते हैं। अधिनियम का प्रारंभ लागू रहेगा। यह स्वीकार किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया था। यह इस प्रकार है कि कानून का विषय धारा 15 (1) के व्यक्त शब्दों द्वारा गौण खनिजों के संबंध में शामिल है। संसद ने कानून बनाया है और यह निर्धारित किया है कि अवयस्कों के संबंध में पेशेवरों > पेकिंग लाइसेंस और खनन पट्टों को प्रदान करने का विनियमन

खनिज और इसके लिए। इससे संबंधित उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा होने चाहिए। चाहे फुल्स बनाए गए हों या नहीं। नहीं, विषय पार्लिया द्वारा कवर किया गया है-। राज्य विधान मंडल की शक्तियों और उस सीमा तक राज्य विधान मंडल की शक्तियों की आवश्यकता है। इसलिए, राज्य के कानून के लिए कोई जगह नहीं है।

इसके अलावा, रिपोर्ट के पैरा 20 में, उनके लॉर्डशिप ने कहा कि-

"1957 के अधिनियम 67 की धारा 15 को लागू करके, संघ ने सभी शक्तियों को अपने ऊपर ले लिया है और राज्य सरकार को पट्टों के विनियमन के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत किया है। घोषणा द्वारा और गौण खनिजों से संबंधित पूरे क्षेत्र की धारा 15 के अधिनियमन से संसद के अधिकार क्षेत्र में आ गया और भूमि सुधार अधिनियम में धारा 10 के दूसरे परंतुक को लागू करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची थी। इसलिए इस परंतुक को लागू करना अधिकार क्षेत्र से बाहर था।

इस मामले को रिपोर्ट के पैरा 22 में किसी भी संदेह से परे निम्नानुसार रखा गया है -

चानन माई **बनाम** हरियाणा राज्य, आदि (बी. आर. तुली, जे.)

पीठ ने कहा, "हम पहले ही कह चुके हैं कि 1967 के अधिनियम 67, विशेष रूप से धारा 15 के प्रावधानों के साथ पढ़े गए संसदीय घोषणापत्र द्वारा पूरा विधायी क्षेत्र कवर किया गया था। हमने यह भी माना है कि सूची II की प्रविष्टि 23 उस पर थी; सूची I की प्रविष्टि 54 द्वारा सीमा में कटौती। पूरा गौण खनिजों का विषय संघ का विषय बन गया। केन्द्रीय संसद ने नियम बनाने की अनुमति दी लेकिन इससे राज्य स्तर पर कानून बनाने की गुंजाइश नहीं बनी। इसलिए, यदि 5 पुराने पट्टे 5 से 5 थे, तो 3 को संशोधित किया गया था, एक कानून- बड़ा। मैं:- अधिनियमन संसद द्वारा धारा 5 की धारा 16 की 1 पंक्तियों पर मैं-1957 का अधिनियम 67 आवश्यक था। इस तरह के कानून की जगह हो सकती है राज्य विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा ऐसा नहीं लिया जाएगा जैसा कि वह धारा 10 के दूसरे परंतुक को अधिनियमित करके करता है। भूमि सुधार अधिनियम। आगे यह देखा जाएगा कि संसद ने 1957 के अधिनियम 67 की धारा 4 में एक पूर्व-राज्यपाल का गठन किया। प्रेस बार हालांकि, धारा 4 गौण खनिजों पर लागू नहीं थी। क्या धारा 4 का उद्देश्य लघु खनिजों पर लागू होना था या इसका कोई हिस्सा गौण खनिजों पर लागू होता है, यह प्रश्न है जिस पर हम विचार नहीं कर सकते हैं।





चानन मल बनाम हरियाणा राज्य, आदि' (बी. आर. तुली, जे.

अधिनियम 957 की धारा 67 की धारा 14 में स्पष्ट घोषणा की गई है कि धारा 4-13 (समावेशी) डीपी दंगा के प्रावधान लागू होते हैं। इसलिए, ऐसा कोई निषेध मौजूद नहीं है जैसा कि धारा 4 (1), परंतुक में मिरोवाई खनिजों के संबंध में पाया जाता है। हालांकि धारा 16 इस पर लागू होती है। यह केवल 25 अक्टूबर, 1949 से पहले दिए गए मिनिरिंग लीसड्स के संशोधन की अनुमति देता है। गौण खनिजों के पट्टों के संबंध में, इस बीच निष्पादित किया गया दिनांक और दिसम्बर, 1964, जब नियम 20(1) अधिनियमित किया गया था, कानून का प्रावधान है जो मौजूदा पट्टों की शर्तों को बदलने में सक्षम बनाता है। केवल एक नियम पर्याप्त है।

इन टिप्पणियों के आलोक में, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील के तर्क में कोई दम नहीं है कि केंद्रीय संसद ने केंद्र सरकार में खनिज के अधिकारों को निहित करने या उन अधिकारों के अधिग्रहण के लिए कोई कानून पारित नहीं किया है। 1957 के केन्द्रीय अधिनियम की धारा 2 में की गई घोषणा में यह प्रावधान किया गया है और राज्य विधान मंडलों के पास विधान बनाने की कोई शक्ति नहीं छोड़ी गई है। मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि लिखित वक्तव्य में दी गई दलीलों के विपरीत, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील ने यह विचार व्यक्त किया कि लागू किया गया अधिनियम सूची-II की प्रविष्टि 23 से संबंधित है और चूंकि केंद्रीय संसद ने खनिजों के अधिकारों को केंद्र सरकार में निहित करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया है और न ही उन अधिकारों के अधिग्रहण के लिए। राज्य सरकार द्वारा खनिजों के अधिकारों के निहित और अधिग्रहण के संबंध में कानून का क्षेत्र अभी भी राज्य विधानमंडल के लिए खुला था। ऊपर उल्लिखित उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, यह दलील टिक नहीं सकती क्योंकि खनिज विकास के पूरे क्षेत्र को संघ और संसद द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया था- केवल कैरी उप-विषय पर कानून बनाते हैं। इस संबंध में अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का भी उल्लेख किया जा सकता है जिसमें यह कहा गया है कि उद्देश्य "संरक्षण के दृष्टिकोण से खनिज क्षमताओं की रक्षा करना और वैज्ञानिक तर्ज पर इसके उचित विकास और शोषण के लिए था। यह वस्तु पूरी तरह से 1957 के केंद्रीय अधिनियम की धारा 18 के दायरे में आती है; भारत में खनिजों के संरक्षण और विकास के लिए आवश्यक सभी कदम उठाने के लिए केन्द्र सरकार का कर्तव्य निर्धारित किया गया है। उस मामले के संबंध में, हरियाणा विधानमंडल लागू कानून लागू नहीं कर सका।' - \*

11. प्रतिवादी राज्य के वकील ने कहा कि लागू किया गया अधिनियम संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II में प्रविष्टि 18 से संबंधित है। यह प्रविष्टि निम्नानुसार है: -

"प्रविष्टि 18 सूची II.

भूमि, अर्थात्, भूमि में या उस पर अधिकार, मकान मालिक और किरायेदार के संबंध सहित भूमि कार्यकाल, और किराए का कोल- कन्फेक्शन; कृषि भूमि का हस्तांतरण और हस्तांतरण; भूमि सुधार और कृषि ऋण; उपनिवेशीकरण।

प्रस्तावना और लागू अधिनियम के प्रावधानों से यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि जो अधिग्रहित किया जा रहा था वह खनिजों का अधिकार था, न कि किसी भूमि या भूमि में या उस पर कोई अधिकार। बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 ने खानों में बिचौलियों के अधिकारों को समाप्त कर दिया था और उन अधिकारों को राज्य सरकार में पट्टेदार के रूप में निहित किया था। *बैजनाथ केडिया आदि* में बहुता *बिहार राज्य और अन्य* (सुप्रा), यह आग्रह किया गया था कि कानून भूमि और भूमि कार्यकाल से संबंधित है। इस तर्क पर विचार करते हुए, विद्वान न्यायाधीशों ने रिपोर्ट के पैरा 19 में टिप्पणी की: -

"श्री लाई नारायण सिन्हा ने तर्क दिया कि कानून का विषय भूमि से संबंधित है और इसलिए, राज्य सूची की प्रविष्टि 18 के तहत आता है और उन्होंने मूल रूप से पारित भूमि सुधार अधिनियम में खानों के विषय पर अन्य प्रावधानों पर हमारा ध्यान आकर्षित किया। खानों में बिचौलियों के अधिकारों को समाप्त करना और इन अधिकारों को राज्य सरकार में पट्टेदारों के रूप में निहित करना भूमि और भूमि कार्यकाल से जुड़ा विषय था। लेकिन राज्य सरकार और पट्टेदारों के बीच खनन पट्टों के स्थापित होने के बाद, उन खनन पट्टों को विनियमित करने का कोई भी प्रयास प्रविष्टि 18 में नहीं बल्कि प्रविष्टि 23 में आया, भले ही विनियमन संयोग से भूमि को छूता हो। सुधार अधिनियम की धारा 10 में संशोधन का सार और सार प्रविष्टि 23 के भीतर आता है, हालांकि यह संयोग से भूमि को छूता है और इसके *विपरीत नहीं*। इसलिए, यह संशोधन संसद की अभिभावी शक्ति के अधीन था जैसा कि 1957 के अधिनियम 67 में धारा 15 में घोषित। इसलिए राज्य सूची की प्रविष्टि 18 से कोई मदद नहीं मिलेगी।

इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में, लागू किए गए अधिनियम का सार और सार खनिजों के अधिकारों का अधिग्रहण है और

इसके विकास के लिए, अधिनियम प्रविष्टि 23 के भीतर आता है, न कि प्रविष्टि 18 के भीतर, हालांकि यह संयोग से भूमि को छूता है और इसके *विपरीत नहीं*। भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है बल्कि खनिजों के रूप में इसकी उपज के अधिकारों का अधिग्रहण किया जा रहा है। अतः, मेरा मानना है कि हरियाणा राज्य विधानमंडल के पास 1957 के केन्द्रीय अधिनियम 67 के उपबंधों के मद्देनजर कानून बनाने की विधायी क्षमता का अभाव है।

12. एडवोकेट-जनरल ने संविधान के अनुच्छेद 31 ए (1) (ए) का हवाला दिया और कहा कि लागू अधिनियम उस खंड के तहत आता है और संविधान के अनुच्छेद 31 के आधार पर इसकी वैधता पर हमला प्रतिबंधित है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि लागू किया गया अधिनियम संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 18 से संबंधित नहीं है और यदि ऐसा है तो अनुच्छेद 31क (1) (क) भी लागू नहीं होता है। यह खंड कृषि सुधारों से संबंधित है न कि खानों और खनिजों या उनके अधिकारों से। यह मामला संविधान के अनुच्छेद 31ए (एल) (ए) के उपखंड (ई) के अंतर्गत आता है। संदर्भ की सुविधा के लिए इस अनुच्छेद के दोनों उपखंड (क) और (ड) निर्धारित किए गए हैं और वे निम्नानुसार हैं:-

चानन माई **बनाम** हरियाणा राज्य, आदि (बी. आर. तुली, जे.)

"अनुच्छेद 13 में निहित किसी भी चीज के बावजूद, कोई कानून निम्नलिखित के लिए प्रावधान नहीं करता है:

(ए) राज्य द्वारा किसी संपत्ति का अधिग्रहण या उसमें कोई अधिकार या उन्मूलन या संशोधन ऐसे किसी भी अधिकार के बारे में, या

(ख) \* \* \* \* \*

(ग) \* \* \* \* \*

(घ) \* \* \* \* \*

(ङ) किसी खनिज या खनिज तेल की खोज करने या उसे प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी करार, पट्टे या लाइसेंस के आधार पर प्राप्त किसी अधिकार का उन्मूलन या संशोधन या ऐसे किसी करार, पट्टे या लाइसेंस को समय से पहले समाप्त करना या रद्द करना,

इस आधार पर शून्य माना जाएगा कि यह अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 31 द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के साथ असंगत है, या छीनता है या कम करता है:

\* \* \* \* \*

खानों और खनिजों के संबंध में, अधिग्रहण किसी भी खनिज की खोज या जीतने के उद्देश्य से हो सकता है, न कि खनिज विकास के लिए। इस कारण से, लागू अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 31 ए (1) (ए) या (ई) के तहत बचाया नहीं जा सकता है, विशेष रूप से 1957 के केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों के सामने।

13. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तब तर्क दिया है कि ऐसा कोई सार्वजनिक उद्देश्य नहीं है जिसके लिए लागू अधिनियम द्वारा खनिजों के अधिकार का अधिग्रहण किया गया है क्योंकि इसमें ऐसा कोई उद्देश्य नहीं बताया गया है। यह पता लगाने के लिए कि क्या अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया गया है, हमें अधिनियम के सभी उपबंधों पर विचार करना होगा और यदि आवश्यक हो, तो उन उद्देश्यों और कारणों की भी जांच की जा सकती है जिनके कारण यह अधिनियम हुआ। उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह निश्चित रूप से कहा गया है कि खनिज क्षमताओं को संरक्षण की दृष्टि से संरक्षित करने और वैज्ञानिक तर्ज पर इसके समुचित विकास और दोहन के लिए अधिग्रहण किया जा रहा था। अधिनियम की धारा 3 में यह उपबंध किया गया है कि राज्य सरकार में खनिजों का अधिकार निहित होने के पश्चात्, राज्य सरकार के पास केन्द्रीय अधिनियम, 1957 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे अधिकार के समुचित उपभोग या निपटान के लिए आवश्यक सभी शक्तियां होंगी। 1957 के केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत एक उपबंध नामत धारा 18 खनिजों के विकास से सीधे संबंधित है। इसलिए, समग्र रूप से देखने पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अधिनियम के अंतर्गत खनिजों के अधिकार का अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया गया था। याचिकाकर्ताओं के वकील की यह दलील कि अधिग्रहण राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए किया गया था, सही नहीं लगता। राज्य द्वारा दाखिल रिटर्न में यह कहा गया है कि हरियाणा मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी को कंपनी अधिनियम के तहत शामिल किया गया है, जिसे पूरी तरह से खनिजों के वैज्ञानिक विकास और संरक्षण का काम सौंपा जाएगा, जिसका अधिकार अधिनियम के तहत अधिग्रहित किया जा रहा था। यह हो सकता है कि खनिजों के वैज्ञानिक विकास के परिणामस्वरूप राज्य को कुछ राजस्व या आय प्राप्त होती है, लेकिन यह मानने का कोई कारण नहीं है कि खनिजों के अधिकार का अधिग्रहण करने का कोई सार्वजनिक उद्देश्य नहीं है।

चानन माई **बनाम** हरियाणा राज्य, आदि (बी. आर. तुली, जे.)

"अधिनियम के तहत बनाया गया है। इसलिए, मैं याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील की इस दलील को खारिज करता हूँ।

14. अन्त में, मैं इथेतिपेटिती की ओर से यह प्रस्तुत करता हूँ कि संविधान के अनुच्छेद 31(2) के तहत, अनिवार्य अधिग्रहण के लिए प्रावधान करने वाले कानून को भी एक राशि निर्धारित करनी चाहिए या ऐसे सिद्धांतों को निर्धारित करना चाहिए जिसके अनुसार राशि निर्धारित की जा सकती है और जिस तरीके से इसका भुगतान किया जाना है और यह कि अधिनियम की धारा 4 के तहत निर्धारित राशि न केवल मनमानी है, बल्कि पूरी तरह भ्रामक है। विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 31 (2) में निर्धारित निषेध के मद्देनजर अधिनियम के तहत अधिग्रहण के लिए प्रदान की गई राशि की पर्याप्तता पर विचार नहीं कर सकता है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा परम पावन केशवानंद भारती श्रीपदागलवरु और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के उनके लॉर्डशिप के फैसले पर भरोसा करके इस तर्क को पूरा किया जाता है। केरल राज्य और दूसरा ए.आई.आर. 1973 एस.सी. 1461 (4), जिसमें अधिकांश विद्वान न्यायाधीशों ने कहा कि राशि कानून द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए, लेकिन इस प्रकार निर्धारित राशि मनमानी या भ्रामक या बहुत कम नहीं होनी चाहिए जो न केवल न्यायिक विवेक को बल्कि हर तर्कसंगत इंसान के विवेक को झटका देगी। इस प्रकार यह माना गया कि अधिनियम में बताई गई राशि के निर्धारण के लिए निर्धारित राशि या सिद्धांत उस दृष्टिकोण से न्यायिक समीक्षा के लिए खुले हैं, हालांकि राशि की अपर्याप्तता लागू अधिनियम को अमान्य नहीं कर सकती है। यह पता लगाने के लिए कि क्या अधिनियम की धारा 4 के तहत निर्धारित राशि या इसके निर्धारण के लिए निर्धारित सिद्धांत मनमाने या भ्रामक हैं या न्यायिक विवेक या तर्कसंगत मनुष्यों के विवेक के लिए चौंकाने वाले हैं, उस धारा के प्रावधानों को बारीकी से स्कैन करना आवश्यक है। इस खंड में निम्नलिखित लिखा गया है -

"4(1) धारा 3 के अधीन किसी भूमि में खनिजों का अधिकार निहित करने पर, खनिजों के अधिकार का हकदार व्यक्ति ऐसे निहित होने से पहले निर्धारित रीति से, वार्षिक संविदा राशि के दस प्रतिशत के बराबर राशि, या रॉयल्टी, या मृत किराया, जो भी अधिक हो, का वार्षिक भुगतान किया जाएगा। (क) क्या राज्य सरकार को एक वर्ष में उठाए गए खनिजों पर, जैसा भी मामला हो, दस वर्ष की अवधि के लिए देय है।

बशर्ते कि यदि कोई अनुबंध या पट्टा नहीं दिया जाता है या पट्टेदार किसी भी अवधि के लिए खनिजों का उत्पादन नहीं करता है, तो उस अवधि के लिए कोई राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा और दस वर्षों की उपरोक्त अवधि को उस अवधि तक बढ़ाया गया माना जाएगा:

बशर्ते कि राशि का भुगतान अनुबंध या पट्टे की अवधि शुरू होने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद, जैसा भी मामला हो, शुरू होगा।

**स्पष्टीकरण**--यदि राज्य सरकार स्वयं खनिजों का दोहन करती है, तो रॉयल्टी या डेड रेंट जो भी अधिक हो, की गणना इस तरह की जाएगी जैसे कि राज्य सरकार पट्टेदार है।

2. कलेक्टर निर्धारित रीति से उस व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्दिष्ट करते हुए एक आदेश जारी करेगा जिसे राशि का भुगतान किया जाएगा।

3. यदि उस व्यक्ति या व्यक्तियों के बारे में कोई विवाद है जो राशि के भुगतान के हकदार हैं, तो कलेक्टर एक आदेश द्वारा विवाद का फैसला करेगा और यदि वह पाता है कि एक से अधिक व्यक्ति राशि के हकदार हैं, तो वह ऐसे व्यक्तियों के बीच राशि का विभाजन करेगा।

इस धारा के अनुसार, राज्य द्वारा खनिजों के अधिग्रहण से ठीक पहले खनिजों के अधिकार के हकदार व्यक्तियों को वार्षिक अनुबंध राशि के दस प्रतिशत के बराबर राशि, या रॉयल्टी या डेड रेंट जो भी अधिक हो, का भुगतान किया जाना है, जो राज्य सरकार को एक वर्ष में उठाए गए खनिजों पर देय है। जैसा भी मामला हो, इस तरह के निवेश से प्रभावी दस साल की अवधि के लिए। इस राशि का भुगतान दस वर्षों तक किए जाने के बाद, खनिजों का अधिकार हमेशा के लिए राज्य सरकार के पास रहेगा और मालिकों को कोई और राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, इसका अर्थ यह है कि एक वर्ष की लीज राशि के बराबर राशि का भुगतान करने से, खनिज हमेशा के लिए राज्य सरकार में निहित होंगे। 1974 के सीडब्ल्यू 1231 में याचिकाकर्ता सरदार सिंह और अन्य द्वारा यह बताया गया है कि उन्होंने 23 मई, 1966 के बिक्री प्रमाण पत्र के माध्यम से राज्य सरकार से 1,30,000 रुपये में साल्टपेट्रे वाली भूमि खरीदी थी। यह भूमि याचिकाकर्ताओं के लिए नमकीन के निष्कर्षण के अलावा किसी अन्य \* उपयोग की नहीं थी। भूमि का क्षेत्रफल 169 कंडल 5 मरला है। याचिकाकर्ता 1 द्वारा अक्टूबर, 1973 के महीने में श्री कैलाश चंद्र ठेकेदार को 2,000 रुपये में एक वर्ष के लिए भूमि का एक हिस्सा दिया गया था और याचिकाकर्ताओं से संबंधित शेष क्षेत्र अभी भी उनके पास था और वे पहले ही थे।

चालू वर्ष के लिए नमक के निष्कर्षण से संबंधित कार्य के संबंध में भारी राशि का निवेश किया गया है, अर्थात् कुशल श्रमिकों को काम पर लगाकर और नमक की निकासी के लिए आवश्यक निर्माण और अन्य तैयारी करके। रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, पूरी भूमि 5,000 रुपये में नीलाम की गई है, जिसका अर्थ है कि याचिकाकर्ताओं को चालू वर्ष के लिए केवल 500 रुपये मिलेंगे और अगले नौ वर्षों में इतनी ही राशि मिलेगी। इस राशि का निकाले गए और भूमि में पाए जाने वाले खनिजों के मूल्य से कोई संबंध नहीं है और यह इतनी कम है कि यह भ्रामक और मनमानी के अलावा कुछ भी नहीं है। यह न्यायिक विवेक के लिए चौंकाने वाला है और मुझे पूरा यकीन है कि यह हर तर्कसंगत इंसान की अंतरात्मा को झकझोर देगा। इसके अलावा, धारा 4 की उप-धारा (1) के परंतुक के अनुसार, रॉयल्टी या डेड रेंट की वार्षिक अनुबंध राशि का दस प्रतिशत किसी अधिकार के मालिक को तभी देय होता है जब राज्य सरकार द्वारा पट्टा प्रदान किया जाता है और ठेका लेने के बाद ठेकेदार अनुबंध के अनुसार खनिजों का उठाव करता है। यदि कोई पट्टा नहीं दिया जाता है या पट्टा लेने के बाद ठेकेदार खनिजों का उत्पादन नहीं करता है, तो मालिक उस वर्ष के लिए किसी भी राशि का हकदार नहीं होगा। इस प्रकार, यह परंतुक राज्य सरकार के पास एक मनमानी शक्ति छोड़ देता है कि वह खनिजों को पट्टे पर दे या न दे और फिर यह ठेकेदार की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह खनिजों को बढ़ाए या न उठाए और खनिजों के मालिक को उस अवधि के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक कि खनिजों को उठाया नहीं जाता है। इस प्रकार यह परंतुक राज्य सरकार को राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित उनकी संपत्ति की प्रतिपूर्ति के माध्यम से खनिजों के मालिकों को किसी भी राशि से वंचित करने की मनमानी शक्ति प्रदान करता है। इसलिए, अधिनियम की धारा 4 को संविधान के अनुच्छेद 31 (2) में उल्लिखित खनिजों के अधिकार के मालिकों को भुगतान की जाने वाली राशि का प्रावधान नहीं माना जा सकता है और न ही धारा में प्रदान की गई राशि के निर्धारण के लिए सिद्धांत इसके अनुरूप है। राशि मनमाने ढंग से तय की गई है और भ्रामक और बेहद कम होने के कारण, अधिनियम को अधिग्रहण से पहले अधिकार के मालिक को भुगतान की जाने वाली किसी भी राशि का प्रावधान नहीं माना जाता है। इसलिए, अधिनियम की धारा 4 संविधान के अनुच्छेद 31 (2) का उल्लंघन करती है और इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है। यदि अधिग्रहण के लिए राशि निर्धारित करने वाले प्रावधान को रद्द कर दिया जाता है, तो अधिनियम काम नहीं कर सकता है और इसे पूरी तरह से रद्द कर दिया जाना चाहिए।

15. जेएसक्रेसन के लिए; ऊपर दिए गए अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि हर खनिज (अधिकारों का निहित) अधिनियम, 1973, संविधान के अनुच्छेद 31 (2) और खानों और खनिजों के प्रावधानों के विपरीत है।

(विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 का LXVII और इसलिए, इसे निरस्त किया जाता है।

16. राज्य सरकार ने दिनांक 20 फरवरी, 1974 को अधिसूचना संख्या 1217-2-1-बी-II-74/6722 जारी की, जिसमें अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

चानन माई **बनाम** हरियाणा राज्य, आदि (बी. आर. तुली, जे.)

अनुसूची में वर्णित भूमि में नमक खनिज का अधिकार प्राप्त किया गया। अधिनियम को अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित किए जाने के मद्देनजर इस अधिसूचना को भी निरस्त किया जाता है।

17. एक और अधिसूचना सं. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 1974 को हरियाणा राज्य में नमक वाले क्षेत्रों की नीलामी के लिए जीएलजी/एसपी/एयूसी/1173/73-74/3075-सी जारी किया गया था। वह अधिसूचना भी गिर जाती है और रद्द कर दी जाती है। अतः, उस अधिसूचना के अनुसरण में की गई नीलामियों का कोई प्रभाव नहीं है।
18. इस मामले के इस दृष्टिकोण में, मैंने पट्टेदार-याचिकाकर्ताओं के पक्ष में पट्टों की वैधता के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न याचिकाओं पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा है। बताए गए आधार यह हैं कि उक्त पट्टे गौण खनिज रियायत नियम, 1964 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं। यदि ऐसा है, तो राज्य सरकार पट्टेदारों या पट्टेदारों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी जो उक्त नियमों या केंद्रीय अधिनियम 1957 के तहत अनुमेय हो।
19. तदनुसार रिट याचिकाओं को अनुमति दी जाती है लेकिन पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

दिल्लों, जे.-में सहमत हूँ।

एन.के.एस.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

प्रांशु जैन  
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,  
गुरुग्राम, हरियाणा